

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इ
हुक्म की तामी
में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 339 सन 2018
अनवान :-

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।

बनाम

1. बृजलाल पुत्र बस्तीराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
2. योगेश कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।
3. योगिता 4 योनिशा पुत्रियान राजेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 18.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 24/26 की कुल 5.0600हैक व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी - ए के खाता संख्या 45/39 की कुल तादादी 3.5420हैक व खाता संख्या 66/70 की कुल 1.1250हैक व रोही मौजा चक 6 बाराणी के खाता संख्या 271/330 की कुल 4.3010हैक भूमि जिसमें शम्भूराम पुत्र बस्तीराम खातेदार काश्तकार थे।

वादी के दादा शम्भूराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उसके पुत्र वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

नई

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात् विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पत्ति है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3, 4 जो वादी की बहने हैं ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3, 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3, 4 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 24/26 की कुल 5.0600 हैक् , व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी - ए के खाता संख्या 45/39 की कुल 3.5420 हैक् व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 66/70 की कुल 1.2150 हैक् व रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 271/330 की कुल 4.3010 हैक् भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के रालगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। चयन वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

S. Daidi
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)